

उपायुक्त का कार्यालय, लातेहार।

(पंचायत शाखा)

लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति संबंधी संशोधित सूचना- 01/2018-19

सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, रांची के पत्र संख्या-1453/प0, दिनांक 03.05.2016 के द्वारा जिले में 14वें वित्त आयोग के योजनाओं के सफल संचालन हेतु 18 (अठारह) लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु P.R.202663LATEHAR(18-19):D के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था, जिसमें तिथि विस्तार हेतु पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र ONLINE Recruitment Portal, URL- <https://applyrdd.jharkhand.gov.in/> पर भरे जायेंगे।

लातेहार जिले के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार कोटिवार आरक्षित/अनारक्षित रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है-

क्र.सं.	पदों का नाम	कुल पदों की संख्या	आरक्षण की स्थिति		
			अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति
01	लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	18	02	10	06

नोट- दिव्यांगों एवं महिलाओं के लिए नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा। विभागीय अधिसूचना संख्या-80/प0, दिनांक 28.04.2016 एवं झारखण्ड सरकार ग्रामीण विकास विभाग (पंचायत राज) का शुद्धि पत्र अ0सू0सं0-01स्था (वि0)89/2016:105 दिनांक-07.06.2016 के द्वारा उपरोक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा, नियुक्ति की प्रक्रिया, आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया एवं आवेदन के लिए विहित प्रपत्र, शुल्क की राशि तथा संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों की सेवा शर्त निर्धारित की गई है। जो निम्नवत् है-

क्र.सं.	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता	उम्र सीमा	शुल्क की राशि	मासिक मानदेय
1	लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको में 05 प्रतिशत की छूट के साथ बी0कॉम/बी0एस0सी0 (गणित/सांख्यिकी)/बी0ए0 (गणित/सांख्यिकी) अथवा समकक्ष डिग्री। वांछनीय योग्यता एवं अनुभव- संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।	1. सामान्य श्रेणी के लिए- 35 वर्ष 2. पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए- 37 वर्ष 3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए-40 वर्ष	सरकार के संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्र ज्ञापक-4894/ दिनांक 03.12.2018 के आलोक में अभ्यर्थियों से ONLINE आवेदन पत्र प्राप्त करते समय कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।	10,000/-

आवेदन हेतु पात्रता-


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के अधिसूचना संख्या-6938 एवं 6939/दिनांक 14.07.2016 के आलोक में लातेहार जिला के स्थानीय निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे। स्थानीयता के संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के अधिसूचना संख्या-3198/ दिनांक 18.04.2016 प्रभावी मानी जायेगी।

आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया-


- आवेदन पत्र संलग्न प्रपत्र में ही मान्य होगा।
- आवेदन पत्र ONLINE दिनांक-25/02/2019 से दिनांक-25/3/2019 तक ही स्वीकार्य होगा।
- रिक्ति के आधार पर भविष्य में पदों की संख्या घट- बढ़ सकती है।
- आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्र स्वअभिप्रमाणित संलग्न करना अनिवार्य है।
- स्थानीय/आवासीय (नियोजन कार्य हेतु) कम-से-कम से अनुमण्डल स्तर का संलग्न होना अनिवार्य होगा।
- उम्मीदवारों के चयन हेतु दक्षता जाँच को आयोजित किया जा सकता है अथवा इसके संबंध में चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय मान्य होगा।

संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों की सेवाशर्त निम्नवत् होगी--


- I. प्रारम्भिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति ही इस प्रयोजनार्थ नवीकरण के लिए समिति मानी जायेगी।
- II. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।
- III. उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मि को किसी अन्य स्थान/संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- IV. संविदा अवधि के नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।
- V. कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मानदेय में 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दी जायेगी।
- VI. आवेदक को देय एकमुश्त वेतन के अन्तर्गत ही यात्रा, दूरभाष एवं इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी।
- VII. आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। कर्मि का मात्र सरकारी कार्यों से देश के अंदर यात्रा करने हेतु राज्य के नियमों के अंतर्गत यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।
- VIII. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यकता संविदा कर्मियों को देय होगा।
- IX. नियुक्त कर्मियों को विभाग द्वारा तैयार किये गये अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।
- X. स्वीकृत पदों के लिए निर्धारित आरक्षण रीस्टर Clearance प्राप्त होने के पश्चात् भविष्य में आरक्षण कोटिवार पदों में अंतर भी हो सकता है।


उपायुक्त, लातेहार।


प्रतिलिपि:- सं.संख्या:तीन-01/2016:ज्ञापांक87...../पं.दिनांक25...../02/2019
जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित किया जाय।


उपायुक्त, लातेहार।

प्रतिलिपि:- सं.संख्या:तीन-01/2016:ज्ञापांक87...../पं.दिनांक25...../02/2019
जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, latehar को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उपरोक्त विज्ञापन एवं पत्र के साथ सलग्न विज्ञापि को इस जिले के वेबसाइट (<https://latehar.nic.in>) पर अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाय।


उपायुक्त, लातेहार।

प्रतिलिपि:- सं.संख्या:तीन-01/2016:ज्ञापांक87...../पं.दिनांक25...../02/2019
राज्य, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), आरखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।


उपायुक्त, लातेहार।

Application format

1. Post Applied for :-
2. Name of the Candidate :-
3. Father's/Hasband's Name :-
4. Nationality :-
5. State in which Domiciled/Resident :-
6. Address
(a) Permanent Address :-
(b) Correspondence Address :-
7. E-Mail Address :-
8. Mobile No. :-
9. Caste :-
10. Age (01.01.2016) :-
11. Education Qualification/Desirable Qualification

Self-Attested
Photo

Name of Exam	University/Institute	Passing Year	Percentage

12 Experience

Name of Organization	Designation	From	To

Note: - Documents related to Age, Proof of Domicile/Residence, Caste, Qualification, Experience Should be self attested and attached.

Declaration

I hereby declare that all the statement information furnished & papers attached are true to best of my knowledge and belief. I have not been prosecuted or punished by any Court of law for any offence or involved/named/charge sheeted in any criminal or like case. If any of the information furnished by the undersigned is found to be false, my candidature be deemed void and be appropriately penalized.

Signature of the applicant